

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. : 01/2022 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2022/5

अनवान

समस्त ग्राम वासी, ग्राम टपाणा, ग्राम बरना, ग्राम पंचायत बरना, पंचायत समिति ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.) जरिये प्रतिनिधि

1. श्री राजकृष्ण पिता धनजी डामोर, निवासी ग्राम टपाना, तहसील-ऋषभदेव जिला-उदयपुर।
2. श्री कालूलाल पिता हुरमा जी अहारी, निवासी ग्राम बरना, तहसील-ऋषभदेव जिला-उदयपुर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत बरना, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बरना, पंचायत समिति -ऋषभदेव, जिला-उदयपुर।

— विपक्षी

उपस्थित

1. श्री कमलेश चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दिलिप कलासुआ, सरपंच, ग्राम पंचायत, बरना।
3. श्रीमती हेमलता जैन, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, बरना।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970
बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 31-03-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण मौजा ग्राम टपाना, तहसील-ऋषभदेव जिला-उदयपुर द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 पेश कर निवेदन किया है कि वर्ष 2018-19 में पंचायत पुर्नगठन के अर्न्तगत ग्राम टपाणा, ग्राम पानीशाला, ग्राम बाबरीखेडा, ग्राम ओडा, ग्राम बरना को मिला कर एक नई ग्राम पंचायत बरना का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी गांवो के समान विकास के लक्ष्यों को घ्यान में रखने एवं बुजुर्ग असहाय विकलांग, विधवा, वरिष्ठ नागरिक हेतु पेंशन, एवं सरकारी प्रमाण पत्र आदि बनवाने का लाभ प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से किया गया । नई ग्राम पंचायत बरना का गठन होने पर पंचायत के मुख्यालय भवन के निर्माण की आवश्यकता हाने पर ग्राम वासियों द्वारा यह बातों की सहमति

हुई कि उक्त मुख्यालय भवन एसी जगह पर स्थित हो कि सभी ग्रामवासियों की आसान पहुच में हो । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम वासियों द्वारा ग्राम बरना में जगह सुनिश्चित की गई। जिस जगह मुख्यालय भवन बनना तय हुआ वह जगह निजी खतेदारों की होने से उक्त जगह के खातेदारों से आपसी समझाईस की जिस पर निजी खातेदारों के द्वारा अपनी जमीन स्वैच्छा से देने की रजामंदी दी गई । उक्त भूमि आराजी संख्या 1212 रकबा 0.1600 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 1219 रकबा 0.2500 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4100 हैक्टेयर की भूमि सर्वश्री कालूलाल, अमृत, तुलसी, कमला, शान्ता, अमरी, नाथू, लक्ष्मण, देवीलाल, जगदीश, जितेन्द्र जगदीश, लाली वगैरा के निजी खाते की भूमि थी, उनके द्वारा उक्त भूमि में निहित अपने हक व हिस्से को ग्राम पंचायत के मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत बरना को दान कर दी गई, और उक्त भूमि ग्राम पंचायत बरना के नाम पर राजस्व रेकार्ड भी दर्ज हो गई। यह कि इसी प्रकार आराजी न. 1220 रकबा 0.2000 हैक्टेयर के खातेदार श्री काना मीणा सहित कुज 23 खातेदारों द्वारा भी उक्त भूमि में निहित अपने हक व हिस्से को ग्राम पंचायत के मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत बरना को समर्पण करना तय कर इस हेतु समर्पण पत्र निष्पादित किया गया ओर जमीन का कब्जा ग्राम पंचायत को सिपुर्द कर दिया गया। ग्राम पंचायत बरना के मुख्यालय भवन हेतु भूमि प्राप्त होने के बाद जमीन पर भवन निर्माण करवाने के लिए अग्रिम कार्यवाहिया की गई। उक्त जमीन पर निर्माण हेतु ग्राम पंचायत व सरपंच दिलीप कलासुआ द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया। यह कि सरपंच दिलीप कलासुआ जो कि जमीन पर मुख्यालय भवन निर्माण हेतु सहमत था, बाद में पंचायत के सचिव अन्य पदाधिकारियों से मिलीभगत कर अपने मालिकाना हक की जमीन को बेशकिमती बनाने के उद्देश्य से उसके पास खाली पडी बिलानाम भूमि पर मुख्यालय भवन बनाने हेतु पंचायत से प्रस्ताव पारित करा लिया गया उक्त पारित प्रस्ताव में सभी वार्ड पंचों की सहमति भी नहीं ली गई। उक्त प्रस्ताव के आधार पर बिलानाम आराजी नम्बर 1877 में सेक 0.4000 हैक्टेयर भूमि पर भवन निर्माण हेतु कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से जरिये आवंटन पत्र क्रमांक: प ()राजस्व /आवंटन/2019/1601 दिनांक 20.08.2020 से आवंटित करा ली। उक्त भूमि ग्राम बरना के अन्तिम छोर रापेटा फलां जो सोम नदी के किनारे स्थित होकर आबादी से काफि दुर स्थित होकर पहाडों में स्थित है। आने जाने का कोई सुलभ मार्ग नहीं है। इस प्रकार गलत आवंटन होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये कथित आवंटन को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से हेमलता जैन ग्राम विकास अधिकारी, बरना द्वारा उपस्थित होकर पत्र

प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि आवंटन की प्रक्रिया तथाकथित दान से पूर्व हो चुकी थी। एवं पंचायत भवन के निर्माण का कार्य भी पहले से चल रहा है। निर्माणाधीन भवन ग्रामीण डामरीकरण संपर्क सडक से मात्र 15 मीटर दूरी पर स्थित है। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। ग्राम पंचायत बरना के सरपंच एवं सचिव उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गयी। बहस प्रारंभ करते हुये प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया कि मुख्यालय भवन सभी ग्रामवासियों के पहुँच योग्य जगह पर बनना चाहिए। ग्राम वासियों द्वारा आराजी न. 1220 रकबा 0.20 हैक्टर वर्गीकरण बीड द्वितीय का सर्म्पण पत्र पेश किया गया। यह कि पंचायत भवन के लिए भूमि दे दी, फिर भी सरपंच ग्राम पंचायत बरना, दिलिप कलासुआ ने अपनी भूमि के पास जमीन आवंटित करवा ली। यह कि भूमि काफी दूरी पर स्थित होकर मौके पर सुनसान है। यह कि पहले से ही भूमि उपलब्ध है, तो दान वाली जगह का क्या उपयोग है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा सभी जगह आवेदन किया पर कोई कार्यवाही नहीं होने से यह आवेदन पेश किया गया। उक्त आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 की ओर से हेमलता जैन ग्राम विकास अधिकारी बरना द्वारा उपस्थित होकर बहस मे कथन किया कि मौजा ग्राम टपाना, तहसील-ऋषभदेव जिला-उदयपुर मे दिनांक 20.08.2020 को भूमि आवंटित हो चुकी थी। दानपत्र बाद का है। दान में प्राप्त जमीन 12/2 एवं 12/9 आठ के आकार में है जो कि उपयुक्त नहीं है। साथ ही यह अवगत कराया कि वर्तमान में आवंटित भूमि पर भवन निर्माण किया जा चुका है, एवं प्लास्टर का कार्य चल रहा है।

हमने प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रश्नगत आवंटन राजस्थान भू राजस्व (स्कूलो, कालेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओ, एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अर्न्तगत होना पाया गया है। तथा यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम (14)4 आवंटन नियम 1970 में पेश किया गया है जो गलत हैं। उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम टपाना, तहसील-ऋषभदेव जिला-उदयपुर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पंचायत का प्रस्ताव पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। आवंटन उपखण्ड अधिकारी के द्वारा

किया गया है जो कि आवंटन हेतु सक्षम प्राधिकारी है। आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये हो, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तों की पालना न की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन उपरान्त कथित आवंटन में कोई त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर